

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:—स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 2849/2024


दिनांक 28.08.2024

श्री आशीष बैदाड़ा (RJ01246), न्यायाधारी ग्राम न्यायालय, खैरवाड़ा (उदयपुर) को दिनांक 29.08.2024 से 12.09.2024 तक 15 दिनों का पितृत्व अवकाश दिनांक 13.09.2024 से 16.09.2024 के राजपत्रित अवकाशों एवं दिनांक 17.09.2024 के स्थानीय अवकाश के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्री बैदाड़ा की अनुपस्थिति में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खैरवाड़ा (उदयपुर) इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति न्यायाधारी ग्राम न्यायालय, खैरवाड़ा (उदयपुर) के पद पर ही होने की संभावना है।

आज्ञा से



रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक:—स्था.बी.2(4)/33/2019/ 676)

दिनांक 28.08.2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, उदयपुर को उनके पत्रांक 3638 दिनांक 21.08.2024 के सन्दर्भ में।
3. श्री आशीष बैदाड़ा (RJ01246), न्यायाधारी ग्राम न्यायालय, खैरवाड़ा (उदयपुर)
4. न्यायाधारी ग्राम न्यायालय, खैरवाड़ा (उदयपुर)।
5. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खैरवाड़ा (उदयपुर)।


28/8/2024
सहायक रजिस्ट्रार